



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

File No. 96/CEO/SVEEP/Vidhan Sabha /2019/ 11810-812 Dated 29-07-2021

सेवा में

उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
ई-मेल: -questionbranchlas@gmail.com.

विषय:- अतारांकित प्रश्न संख्या 157, श्री ऋतुराज गोविन्द द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या सं.एफ.11 (बी-1)VI /2015-20/वि.स.स./प्रश्न शा./6066 दिनांक 22.07.2021 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित हैं।

प्रश्न	उत्तर
(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं। इसका पूर्ण विवरण दे।	किराड़ी विधान सभा में कुल मतदाता की संख्या 278899 है।
(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने नाम काटे गये इसका पूर्ण विवरण दे।	पिछले पांच वर्षों में किराड़ी विधान सभा में 9169 नाम काटे गये।
(ग) और किसी मतदाता का नाम बिना कारण बताए मतदाता सूची से काटे जाने पर इसके लिए कौन जवाबदेह हैं।	मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के दिये गए नियम के आधार पर काटा जाता है।

यह पत्र माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और चुनाव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संलग्नक: सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी,
किराड़ी से प्राप्त उत्तर.

भवदीय,

(टी. मिसरा)

चुनाव अधिकारी/लिंक अधिकारी (स्वीप)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव, माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं चुनाव, दिल्ली सरकार, ए-विंग, 8वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002.
2. पी0 एस0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के लिए।

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम:- विधान सभा-9 (किराड़ी) चुनाव कार्यालय

विभाग का पता:- पहचान पत्र कार्यालय गांव मुबारक पुर डबास दिल्ली-110081

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या:- 157

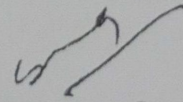
दिनांक:- 24.07.2021

प्रश्नकर्त्ता का नाम:- श्रतुराज गोबिन्द

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

प्रश्न	उत्तर
(क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं। इसका पूर्ण विवरण दे।	किराड़ी विधान सभा में कुल मतदाता की संख्या 278899 है।
(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने नाम काटे गये इसका पूर्ण विवरण दे।	पिछले पांच वर्षों में किराड़ी विधान सभा में 9169 नाम काटे गये।
(ग) और किसी मतदाता का नाम बिना कारण बताए मतदाता सूची से काटे जाने पर इसके लिए कौन जबाबदेह है।	मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के दिये गए नियम के आधार पर काटा जाता है।

हस्ताक्षर



सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी

विधान सभा किराड़ी(9)

(Link Officer)